



2026:AHC:31516-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3226 सन् 2026

अफसार अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: सत्येन्द्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका में गोहत्या अधिनियम की धारा 3/5ए/8, 5 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 19 सन् 2026 को 19.1.2026 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और इस तरह, तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है।
4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पंजीकरण संख्या वाले वाहन का मालिक है। उ.प्र. 65 जीटी-9870 में वध के उद्देश्य से मवेशियों को बिना किसी वैध परमिट के ले जाया जा रहा है।
5. विद्वान एजीए ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप से, प्रथम दृष्टया अपराध, की शिकायत, याचिकाकर्ता के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रकट होती है और, इस तरह, तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2021) एससीसी 779 और निहारिका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किए और आपराधिक अपील संख्या 843 सन् 2024 प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
6. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पंजीकरण संख्या वाले वाहन का मालिक है। उत्तर प्रदेश 65 जीटी-9870, जिसमें वध के उद्देश्य से मवेशियों को बिना किसी वैध परमिट के ले जाया जा रहा है और आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विद्वान एजीए द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
7. इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त अदालत के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसकी जमानत याचिका पर विचार किया जाए और कानून के अनुसार जितनी जल्दी हो सके निस्तारित किया जाए।

9. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"